न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मा नम्बर 103/2018

दायर दिनांक–05–07–2018

1. बिहारी लाल पुत्र स्व. झाबरमल जाति महाजन निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
1. श्रीमती किरण देवी पत्नी स्व. सत्यनारायण जाति महाजन निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2. सुनिल कुमार पुत्र स्व. सत्यनारायण जाति महाजन निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3. सुशील कुमार पुत्र स्व. सत्यनारायण जाति महाजन निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. झाबरमल जाति महाजन निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज.।
2. सुरेश कुमार स्व0 श्री बालकिशन जाति महाजन निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज.।
3. सन्तोष पुत्र स्व0 श्री बालकिशन जाति महाजन निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. विजय पुत्र स्व0 श्री बालकिशन जाति महाजन निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. संजय पुत्र पुत्र स्व0 श्री रामोतार जाति महाजन निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज.।
6. पवन कुमार
7. शिवकुमार
8. सुशील कुमार
9. अनिल कुमार

} पुत्रगण स्व. श्री मोतीलाल जाति महाजन निवासी झाझड़ तहीसल नवलगढ जिला झुन्झुनू।

10. विजय कुमार
11. किशन
12. विनो कुमार
13. अशोक कुमार
14. अजय कुमार

} पुत्रान् स्व. सुण्डाराम जाति महाजन निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल आबाद कोलकता।

15. तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

कील वादी : – श्री शिव कुमार बंका
वकील प्रति. :– राजीव सिंह शेखावत
अशोक कुमार जांगिड़

दावा [illegible] व रिकार्ड दुरुस्ती

—

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक– 29–04–2022

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाद–पत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 एक ही परिवार कुटुम्ब के सदस्य है तथा स्वर्गीय झाबरमल के वारीसान है जिनकी वंशावली निम्नानुसार है :–

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

(24)

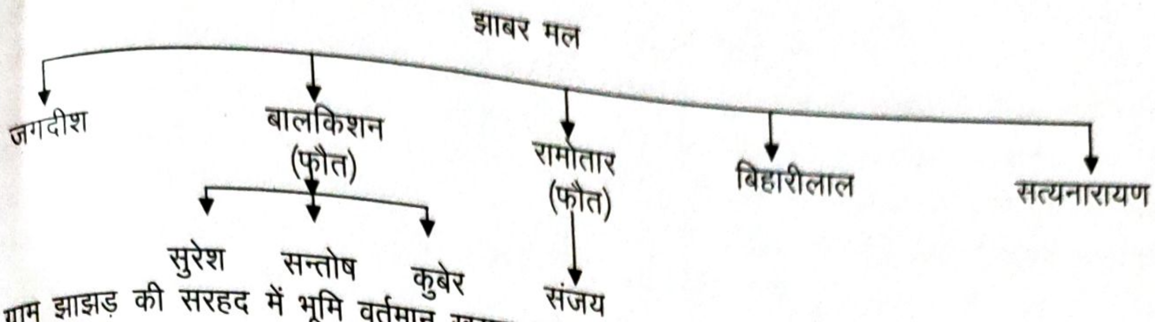

ग्राम झाझड़ की सरहद में भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1378, 1379 रकबा 0.0300, 5.91 हैक्टर कुल किता कुल रकबा 5.94 हैक्टर स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी काश्त की है जिसको दावे में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

उपरोक्त विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है वादीगण नम्बर 6 लगायत 9 का इसमें कोई विवाद नही है।

वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त सदैव से चला आ रहा है दीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 का संयुक्त परिवार होने से प्रतिवादी नम्बर 1 परिवार का मुखिया होने राजस्व रिकार्ड में इसके अकेले के नाम से चला आ रहा है काश्त कब्जा आज भी संयुक्त है शामलाती रूप से श्त करते है।

राजस्व रिकार्उ अकेले प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से रहने से वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 5 काश्त कब्जे में किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नही है संयुक्त परिवार प्रथा धीरे धीरे टूटने से वादीगण प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 5 के अधिकारों पर कुठाराघात हो सकता है वादीगण अपने अधिकारों कि सुरक्षार्थ अपने हक हिस्से कि घोषणा अपने हक में करवाने के कानूनी रूप से अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम खाना खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते है जिससे भविष्य मे किसी प्रकार का कोई विवाद वादीगण प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के मध्य नही है, इसलिए यह वाद–पत्र बाबत घोषणार्थ पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

विवादित भूमि के खातेदार स्व॰ सुण्डाराम पोकर मल के गोद चले गये तथा पोकरमल की चल व अचल सम्पति पर काबिज हो गये खातेदार सुण्डाराम ने अपने जीवन काल में पारिवारिक बंटवारा करके अपने 1/4 हिस्से कि भूमि को वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 05 के पिता के हक में दे दिया तथा इस बाबत एक लिखावट इनकी बही में करके अपने हस्ताक्षर साक्षीगण के समक्ष कर दिये थे जो वादीगण के पास मौजुदा स्व0 सुण्डाराम द्वारा अपने हिस्से कि 1/4 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 05 के हक में देने से विवादित भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 का 3/4 हिस्सा हो गया सुण्डाराम का स्वर्गवास हो चुका है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में सुण्डाराम का स्वर्गवास हो चुका है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में सुण्डाराम पुत्र पोकर मल दर्ज है इससे भी स्पष्ट है कि सुण्डाराम प्रतिवादी नम्बर 10 का पिता पोकरमल के गोद गया था।

विवादित भूमि के 3/4 हिस्से में वादीगण का 1/5, 1/5 व प्रतिवादीगण नम्बर 1 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण नम्बर 02 लगायत 4 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 5 का 1/5 हिस्सा यानि प्रत्येक का विवादित भूमि में 3/20, 3/20 हिस्सा हो गया वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 5 का संयुक्त रूप से हिस्सा है तथा वादीगण संयुक्त रूप ही अपने [illegible] वाद बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड पेश करना आवश्यक हुआ। खातेदारी सुण्डाराम का नाम [illegible] र्ड से हटाया जाना आवश्यक है इसकी जगह वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 का नाम [illegible] किया जावे दुरूस्ती रिकार्ड हेतु तहसीलदार नवलगढ़ के नाम आदेश जारी करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested

बिनाय दावा दिनांक 02.07.2018 को राजस्व रिकार्ड की नकल [illegible] ने पर गलत रिकार्ड कि जानकारी होने के रोज बमुकाम झाझड न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ। विवादित भूमि न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने तथा फरीकेन न्यायालय के क्षैत्राधिकार के निवासी होने से माननीय न्यायालय को यह वाद सुनने का अधिकार श्रवण वाद प्राप्त है।

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

वादीगण द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निम्न प्रकार निवेदन किया :–

वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित कृषि भूमि मौजुदा खसरा नम्बर 1378, 1379 रकबा क्रमशः 0.0300, 5.91 कुल किता 02 कुल रकबा 5.94 हैक्टर मे से वादीगण को 3/4 हिस्से में 3/20, 3/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 11 के नाम तहरीर की जाकर राजस्व रिकार्ड में खाना खातेदारी में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 02 लगायत 05 का नाम दर्ज किया जावे।

) वादीगण को 3/20, 3/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा इसी अनुरूप प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 5 का 3/20 यानि प्रत्येक को 3/20, 3/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

) प्रतिवादी नम्बर 10 के पिता सुण्डाराम पुत्र औंकार का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उसकी जगह वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 का नाम खाना खातेदारी में दर्ज किया जावे इस हेतु प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम तहरीर जारी की जावे।

घ) अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादीगण के पक्ष में पड़ती हो तो वादीगण को दिलाई जावे।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 10 की ओर इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार किया। प्रतिवादीगण नम्बर 10 द्वारा अपने इकबालिया जवाब के साथ अतिरिक्तोतर में कथन किया कि जवाबदेहन्दागण के पिता स्व0 श्री सुण्डाराम ने अपनी खेती कि भूमि व पक्कों नोहरों जुगल किशोर रामोतार बिहारीलाल सत्यनारायण को दे दी थी तथा इसके बदले में कुवा के नीचे वालों बाड़ा लिया है, जिसकी एक लिखा पढ़ी वास्ते यादास्त बही में सम्वत् 2028 में की गई लिखा पढ़ी पर सुण्डाराम ने अपने हस्ताक्षर दो साक्षीगण के समक्ष किये जो असल बही पत्रावली पर उलब्ध है।

प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण में कुछ प्रतिवादीगणों की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश कर वाद में चाही गई रिलीफ को स्वीकार करने एवं शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रकरण में तनकीयात कायम करने आवश्यकता नही रहती है। तनकीयात कायम नही की गई।

शहादत वादी में वादी गवाहान् पीडब्ल्यू–1 सत्यनारायण पुत्र स्व0 झाबरमल जाति महाजन, पीडब्ल्यू–2 प्रतिवादी नम्बर 01 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री स्व0 श्री झाबरमल जाति महाजन, पीडब्ल्यू–3 संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री रामोतार जाति महाजन प्रतिवादी नम्बर 05, पीडब्ल्यू–4 विजय कुमार पुत्र सुण्डाराम जाति महाजन प्रतिवादी 4 निवासीगण झाझड़ ने उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये। वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–2ए लिखावट बही, प्रदर्श–1 ग्राम बसावा की जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 प्रदर्शित करवाये गये।

प्रकरण में कुछ प्रतिवादीगणों की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश कर वाद पत्र स्वीकार करने एवं शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से शहादत प्रतिवादी नही ली गई।

शहादत पेश होने के पश्चात् बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद–पत्र मे अंकित तथ्यों की पुनरावृति की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने वाद–पत्र में उल्लेख किया है कि विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 की भूमि है उसका विवादित भूमि पर सदैव से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त परिवार होने से प्रतिवादी नम्बर 01 परिवार का मुखिया होने से अकेले के नाम चला आ रहा जबकि [illegible] संयुक्त एव शामलाती है। राजस्व रिकार्ड अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के रहने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग चाही गई है साथ ही उल्लेख किया है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार सुण्डाराम पोकरमल के गोद चले गये तथा पोकर मल की चल व अचल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:41:09 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

(26)

...काबिज हो गये। सुण्डाराम ने अपने जीवनकाल में पारिवारिक बंटवारा करके 1/4 हिस्सा झाबरराम के ...क में देने तथा इस बाबत एक लिखावट बही में होना दर्ज किया है। इस प्रकार वादीगण ने विवादित भूमि में ...दीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 5 का 3/4 हिस्सा होना अर्थात वादी संख्या 1 का 3/20 वादी संख्या .../1 लगायत 2/3 का हिस्सा 3/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 3/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ...ा 3/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 3/20 होना क्लेम किया है तथा राजस्व रिकार्ड से सुण्डाराम पुत्र ...कार का नाम हटाये जाने की सहायता चाही है। वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 सत्यनारायण पुत्र ...व0 झाबरमल जाति महाजन, पीडब्ल्यू–2 प्रतिवादी नम्बर 01 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री स्व0 श्री झाबरमल जाति ...हाजन, पीडब्ल्यू–3 संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री रामोतार जाति महाजन प्रतिवादी नम्बर 05, पीडब्ल्यू–4 विजय ...मार पुत्र सुण्डाराम जाति महाजन प्रतिवादी 4 निवासीगण झाझड़ को साक्ष्य में पेश किया है तथा दस्तावेजात ...दर्श–2ए लिखावट बही, प्रदर्श–1 ग्राम बसावा की जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 को प्रदर्शित किया गया है। ...तिवादी संख्या 1, 2, 10 ने वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय ...ार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 8 व 11 का जवाब दावा बंद हो चुका है। ...तिवादीगण ने वादीगण के वाद के विरूद्ध साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये है ना ही वादीगण के वाद के विरूद्ध ...ाक्ष्य प्रस्तुत किये है। बही की लिखावट के अनुसार वादीगण के परिवार में विवादित भूमि के बाबत बंटवारा होना ...सुण्डाराम द्वारा भूमि वादीगण के पिता के पक्ष में बंटवारे के तहत निर्विवादित है। बही की लिखावट के विरूद्ध ...ोई साक्ष्य नही आने से बंटवारे की लिखावट होना साबित होती है। सुण्डाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र से भी ...ुण्डाराम का पोकरमल के गोद जाना जाहिर होता है क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम पोकरमल ...रसरामपुरिया दर्ज है। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की पैतृक सम्पति है जो स्वर्गीय ...ाबरमल के वारिस है। जबकि राजस्व रिकार्ड मात्र प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज है। पैतृक सम्पति में सभी ...ारिसान का जन्मजात हक अधिकार है। वादीगण ने अपने वाद–पत्र में कब्जा होना जाहिर किया है जो झाबरमल ...के सभी वारिसानों का झाबरमल की सम्पति में हक अधिकार होना प्रमाणित करता है। फलस्वरूप प्रतिवादीगण ...द्वारा वादी द्वारा चाही गई रिलीफ के विरूद्ध प्रतिरक्षा के अभाव में व वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी ...साक्ष्य से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए विवादित भूमि खसरा नम्बर 1378, ...1379 रकबा क्रमशः 0.0300, 5.9100 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 5.9400 हैक्टर में वादी संख्या 1 को 3/20 हिस्से, वादी संख्या 2/1 लगायत 2/3 प्रत्येक को 1/20–1/20 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 3/20 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 प्रत्येक को 1/20–1/20 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 5 को 3/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम झाझड़ विवादित भूमि खसरा नम्बर 1378, 1379 रकबा क्रमशः 0.0300, 5.9100 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 5.9400 हैक्टर में वादी संख्या 1 को 3/20 हिस्से, वादी संख्या 2/1 लगायत 2/3 प्रत्येक को 1/20–1/20 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 3/20 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 प्रत्येक को 1/20–1/20 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 5 को 3/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया शेष बदस्तूर जमाबंदी रखा जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय ... की दुरुस्त कर अमल दरामद करे। तद्नानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना ...। निर्णय आज दिनांक 29.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested

(दमयन्ती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ़

दावा : घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

कदमा सं0:– 103/2018 (बिहारी लाल आदि बनाम जगदीश आदि)

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (स्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब ़दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29.04.2022 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त भूमि वाके म झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1378, 1379 रकबा क्रमशः 0.0300, 5.9100 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.9400 हैक्टर में वादी संख्या 1 को 3/20 हिस्से, वादी संख्या 2/1 लगायत 2/3 प्रत्येक को /20–1/20 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 3/20 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 प्रत्येक को /20–1/20 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 5 को 3/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तूर जमाबंदी रखा जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.04.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested